सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शिवरतन बनाम दीनदयाल बाकोलिया

28.8.19

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को पत्रावली पर सुना गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि श्रीडूँगरगढ़ स्थिति वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 449 रकबा 40 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में संवत् 2039 से निरन्तर चली आ रही है। उक्त भूमि पर मौके पर पक्की व कच्ची साल, पानी का कुण्ड आदि बना हुआ हुआ है तथा चारों और तारबन्दी की हुई है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में मौजूद है। वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार द्वारा वर्ष 2004 में प्रार्थी को बेदखल की कार्यवाही किये जाने पर उक्त आदेश के विरूद्व अतिरिक्त कलेक्टर बीकानेर के समक्ष अपील पेश की गई। उक्त अपील दिनांक 20–01–2011 को खारिज किये जाने के उपरान्त उक्त आदेश की अपील न्यायाल हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिनांक 21–03–2011 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि खसरा नम्बर 449 रकबा 40 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। उक्त स्थगन आदेश की सूचना तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ को क्रमांक 509 दिनांक 21–03–2011 को दी गई।

संबंधित तहसीलार को अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी होते हुए भी तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01–09–2011 को प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व पारित किया गया है। जोकि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। यदि दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्व अवमानना की कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे में न्यायालयों के आदेश का कोई औचित्य की शेष नहीं रह जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई। अतः प्रार्थी का अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोषी व्यक्तियों क विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दिनांक 21–03–2011 को जारी अस्थाई/अंतरिम स्थगनादेश में विवादित आराजी खसरा नम्बर 449 के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश थे। उक्त आदेश दिनांक 22–02–2011 को अपील का निर्णय होने तक प्रभावी रहे। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 684 व 686 में नाजायज काश्त कर ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत फसल कुर्क की कार्यवाही की। दोनों आदेशों के खसरा नम्बर मेल नहीं खा रहे है, परन्तु प्रार्थी के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 449 से ही नये खसरा नम्बर 684 व 686 बने है। एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा मार्च माह में जारी की गई है। उक्त आदेश में भूमि पर काश्त वगैरह का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण भूमि खाली मानी जायेगी। अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुसार मौके की यथास्थिति बनाये रखनी थी, परन्तु प्रार्थी ने उस पर खरीफ की फसल काश्त कर स्वयं ही निषेधाज्ञा का उल्लंधन किया है। लिहाजा तहसीलदार तथा हल्का पटवारी को अवमानना के लिये दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अवमानना दरखवाश्त खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।